

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक— एफ 5(प)(15)एसीटीएडी/माडा/SCA/अलवर/2020-21/

दिनांक—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन
मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र.),
अलवर।

विषय— विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत सी.सी. सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्रांक 1584-97 दिनांक 14.01.2021 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 3 में अंकित कार्य हेतु कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है—

(राशि लाख रु.)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम एवं स्थान	प्रशा.स्वी. अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त की राशि (80%)
				क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	अलवर	अजबगढ से रामजी का गुवाडा पुलिया व सडक निर्माण	27.00	78/ 18.02.2021	27.00	21.60
		सोती का गुवाडा मोड से गुगली का गुवाडा तक पुलिया व सडक निर्माण	45.00	79/ 18.02.2021	45.00	36.00
		कुल राशि	72.00		72.00	57.60

उपरोक्त कार्य धारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या— 86/2019-20 में उपलब्ध राशि में से राशि रु 57.60 लाख (प्रथम किश्त) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), दौसा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्यों के संपादन मे निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे—

- यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण—पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,
//
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्रमशः...2

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक- एफ 5(प)(15)एसीटीएडी/माडा/SCA/अलवर/2020-21/86 79-88

दिनांक- 04/03/2021

प्रतिलिपी-

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
3. जिला कलक्टर, दौसा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि स्वीकृति संख्या- 86/2019-20 से प्रथम किश्त 80% राशि रूपये 57.60 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), दौसा को हस्तान्तरित करावें।
5. मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ/लेखाकार (माडा)/माडा मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)